Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 180/2019

विजय कुमार विजयवर्गीय पुत्र श्री जवाहरदास विजयवर्गीय जाति महाजन निवासी जयपुर
...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा
...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 28.6.2019 जो मुकदमा नंबर 3/2019 उनवानी सरकार बनाम विजय कुमार धारा 91 एल.आर.एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 14.08.2024

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनाक 28.6.2019 को ग्राम जीरोता कलां के आ0ख0न0 16 रकबा 1.05है. किस्म सिवायचक गै.मु.नहर भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं लगान के 50 गुना शास्ति का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि पटवारी हल्का ने अपीलांट के विरूद्ध एक निहायत झूंठी रिपोर्ट तहसीलदार दौसा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलांट ने संवत 2076 में ग्राम जीरोता कलां के खसरा नंबर 16 रकबा 1.05है. पर दीवार निर्माण कर नवीन निर्माण किया है जिस पर अपीलांट को विधिवत सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई पटवारी हल्का की साक्ष्य लिये बिना व बिना जिरह का मौंका दिये बिना व बिना मौका रिपोर्ट लिये बिना व सिंचाई विभाग को पक्षकार बनाये बिना व बिना सिंचाई विभाग को सुने बिना अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज करके दिनांक 28.6.2019 को अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश एवं शास्ति 788 रू0 आरोपित कर दी तथा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को अतिक्रमित रकबे से अतिक्रमण हटवाया जाकर पालना रिपोर्ट देने का आदेश दे दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश विधि विरूद्ध प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय मे बिना अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व अपीलांट की विधिवत तामील न होने के बावजूद भी अपीलांट की जानकारी में आ जाने के बाद भी अपीलांट के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष 12 बजे उपस्थित आ जाने के बावजूद भी अपीलांट की उपस्थिति दर्ज नहीं करके अपीलांट के अधिवक्ता का वकालतनामा न लेकर कानून के विपरीत तरीके से अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज करके उक्त निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने अपील में उक्त भूमि गै0म0नहर सिंचाई विभाग की बताकर और अपीलांट के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर दी। जब पटवारी हल्का ने भूमि सिंचाई विभाग की बताकर रिपोर्ट की थी तो अधीनस्थ न्यायालय को सिंचाई विभाग को भी बुलाना चाहिए था और उनके जवाब लेना चाहिए था। किन्तु अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा सिंचाई विभाग को बिना बुलाये निर्णय पारित किया गया है। कानूनन सिंचाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:40 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

विभाग की भूमि के बाबत कार्यवाही करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है बल्कि स्वयं सिंचाई विभाग को है परन्तु अधीनस्थ तहसीलदार दौसा ने उक्त निर्णय पारित करने मे कानूनी भूल की है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट के विरूद्ध पूर्व से ही धारा 91 की कार्यवाही नायब तहसीलदार दौसा के यहाँ चल रही है जिसका मु.नं0 4/2018 है और उक्त मुकदमें में तारीख पेशी दिनांक 28.6.2019 नियत थी। एक ही रिपोर्ट के बारे में दो भिन्न भिन्न केस नहीं चल सकते लेकिन अधीनस्थ तहसीलदार दौसा ने पूर्व में उक्त भूमि के चल रहे प्रकरण पर कोई आदेश पारित नहीं किया तथा यह नया प्रकरण बनाकर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट ने उक्त नहर की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि विधिवत सिंचाई विभाग से इजाजत लेकर ही इजाजत अनुसार उक्त सिंचाई विभाग की भूमिपर कार्य किया है जिसमें अपीलांट ने किसी भी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की है। अपीलांट ने सिंचाई विभाग से विधिवत इजाजत अनुसार भूमि का वैध विकास किया है, वृक्षारोपण किया है तथा जो भी शर्त है जल संसाधन उपखंड दौसा ने लगाई है, उन सबकी पालना करके विधिवत आदेशानुसार कार्य किया है। अपीलाट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खिलाफ निर्णय पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय करने से पूर्व सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं पटवारी हल्का को मय रिकार्ड साक्ष्य में तलब करना चाहिए था किन्तु किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कार्यवाही न करके निर्णय पारित करनें में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा दिनांक 28.6.2019 निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का जीरोताखुर्द द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। धारा 91 के जारी नोटिस को अपीलांट के प्रतिनिधि के द्वारा प्राप्त किया गया है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2076 में राजकीय सिवाय चक गै.मु.नहर (सिंचाई विभाग) भूमि खसरा नंबर 16 रकबा 1.05है. पर दीवार बनाकर अतिचार किया है। पटवारी रिपोर्ट की कैफियत में नया निर्माण होना अंकित किया है। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 16 रकबा 0.93है. पर संवत 2075 में अतिचार किया गया था जिसकी नायब तहसीलदार दौसा के न्यायालय में पृथक से धारा 91 का प्रकरण विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक गै0मु0नहर (सिंचाई विभाग) की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत तरीके से बाद सुनवाई पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हमारे समक्ष विवाद के निम्न बिन्दु है:–

6.1 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना एवं बिना विधिवत तामील के आदेश पारित किये है।

6.2 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में सिंचाई विभाग से बिना जवाब लिये आदेश पारित किये गये है।

6.3 इस प्रकरण में चूंकि भूमि सिंचाई विभाग की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने के अधिकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:40 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

6.4 उक्त भूमि पर पूर्व में नायब तहसीलदार के यहॉ कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसकी तारीख पेशी 28.6.2019 नियत है। एक रिपोर्ट पर दो भिन्न केस नहीं चल सकते है।

6.5 अपीलांट द्वारा उक्त नहर की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है एवं सिंचाई विभाग की अनुमति के उपरांत ही कार्य करवाया गया है।

7. जहॉ तक अपीलांट को बिना सुनवाई के आदेश पारित करने के संबंध में तर्क है तो इस संबंध में हमारे समक्ष निम्न तथ्य प्रस्तुत किये है–पटवारी जीरोता कलां द्वारा दिनांक 10.6.2019 को विजय कुमार पिता जवाहर दास द्वारा खसरा सं0 16 रकबा 1.05है. किस्म जमीन गै0मु0नहर (सिंचाई विभाग) पर एक अतिक्रमण की रिपोर्ट न्यायालय तहसीलदार के समक्ष पेश की। तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.6.2019 को विजय कुमार के लिए नोटिस जारी कर दिनांक 22.6.2019 को अपने न्यायालय में उपस्थिति हेतु निर्देशित किया जिसकी तामीली विधिवत रूप से 12.6.2019 को करवाई गई। इसके उपरांत पुनः नोटिस 24.6.2019 को जारी कर 28.6.2019 को उपस्थिति हेतु निर्देशित किया गया जिसकी तामीली 27.6.2019 को करवाई गई किन्तु 28.6.2019 को भी उपस्थित न होने की स्थिति में तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.6.2019 को अतिक्रमी के विरूद्ध अपने मुकदमा नं0 3/2019 को बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अतः हम इस बात से सहमत नहीं है कि अपीलांट को बिना तामीली व बिना सबूत के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये।

8. जहॉ तक अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रकरण में सिंचाई विभाग से बिना जवाब लिये आदेश पारित किये जाने के संबंध में तर्क है तो इस संबंध में हमारे समक्ष यह तथ्य है कि खसरा सं0 16(संवत 2076) में गै0मु0नहर सिंचाई विभाग के नाम दर्ज रही है एवं उक्त प्रकरण में सिंचाई विभाग से जवाब लिया जाना उचित है जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है।

9. जहॉ तक उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने के अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को न होकर सिंचाई विभाग के संबंध में तर्क है तो इस संबंध में हम सहमत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों में जलाशय के बहाव क्षेत्र एवं नहरों से अतिक्रमण हटाने के दिशा निर्देश प्रदान किये जाते रहे है एवं उक्त समस्त कार्यवाही धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत ही की जाती है। अतः उक्त भूमि पर यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसकी बेदखली का निर्णय धारा 91 के तहत ही किया जायेगा।

10. जहॉ तक एक ही रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार एवं न्यायालय तहसीलदार के यहॉ प्रकरण विचाराधीन होने के संबंध में तर्क है तो इस संबंध में हमारे समक्ष यह तथ्य है कि नायब तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.5.2018 जिसमें अतिक्रमण संवत 2075 के संदर्भ में की गई थी, उस संबंध में प्रक्रियाधीन था। इसके उपरांत पटवारी द्वारा 10.6.2019 को संवत 2076 में उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण के संबंध में पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.6.2019 को अपना निर्णय पारित किया। अतः हम इस बात से सहमत नहीं है कि एक ही रिपोर्ट पर दो न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था। चूंकि यह दो अलग–अलग समय पर पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट है। यहॉ यह भी अवलोकनीय है कि तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 28.6.2019 पर न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 31.7.2019 को स्थगन आदेश पारित किया था जिसे 17.__.2020 को जिला कलक्टर द्वारा अपास्त कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:40 IST
Reason: SelfAttested

11. जहॉ तक उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण न करने एवं सिंचाई विभाग की अनुमति से ही कार्य करने के संबंध में कथन किया है तो इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग दौसा की रिपोर्ट दिनांक 9.10.2007, 14.6.2007, 15.6.2007 एवं सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग दौसा का नायब तहसीलदार

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दिनांक 15.7.2020 अवलोकनीय है जिसमें उनके द्वारा सशर्त अपीलांट को वृक्षारोपण इत्यादि कार्य हेतु अनुमति दियां जाना प्रतीत होता है। हालांकि इससे यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलांट द्वारा कार्य अनुमति तक ही करवाया गया है अथवा अधिक करवाया गया है एवं क्या उक्त अनुमति वर्तमान में भी प्रभाव में है। इसका निस्तांरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल संसाधन विभाग को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके जवाब को पत्रावली पर लेकर किया जा सकता है।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्न आदेश प्रदान किये जाते है:—

12.1 उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में अतिक्रमण है अथवा नहीं एवं यदि है तो उस पर कार्यवाही धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्राधिकार रखने वाले अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जायेगी।

12.3 अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में जल संसाधन विभाग को पक्षकार बनाकर उनका जवाब पत्रावली पर लेकर आदेश प्रदान करें। जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त विवादित खसरे का मौका मुआयना कर विस्तृत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। उक्त कार्य सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग के या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा ही किया जावेगा।

12.4 अपीलार्थी दिनांक 30.8.2024 को अपने जवाब के साथ अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

अतः तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश 28.6.2019 को अपास्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार दौसा को पुनः उपरोक्त दिये गये दिशा निर्देश की पालना करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 14 अगस्त, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:40 IST
Reason: SelfAttested